

Total 105
107

गांधी-3

फार्म

अचल संपत्ति विवरणिका वर्ष 2015-16

• प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 1985

- (1) अधिकारी का पूरा नाम श्री संजय कुलश्रेष्ठ
 (2) वर्तमान धारित पद - अधीक्षण यंत्री (3) कार्यालय का नाम (अउदा:निर्माण)वृत्त, म0प्र0पा0ट्रां0कं0लि0 जबलपुर
 (4) वर्तमान वेतन - 65200/- (5) भविष्य निधि कमां क 23181600 (6) कर्मचारी संख्या 89410764
 ग्रेड पे - 8700/-

उस जिले उपसंभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति नाम तथा ब्योरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका मंडल अधिकारी/कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया • खरीद, पट्टा, बंधक विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1) आगरा नाई की मंडी	गृह 40x50 2000 वर्गफुट 71 महात्मागांधी मार्ग	-	20 लाख का तीसरा हिस्सा लगभग 7 लाख	संयुक्त संपत्ति स्वयं एवं दो भाई के नाम पर	विरासत 1980	निरंक	
(2) भोपाल हुजूर पावडियाकला	प्लॉट नं0 28 1500 वर्गफुट		15 लाख	स्वयं	वर्ष 1986 में लावण्य गुरुकुल गृह निर्माण संस्था से रू0 4875/- में कय किया स्वयं की बचत से	निरंक	कार्यपालक निदेशक भोपाल क्षेत्र का पत्र दि0 08.11.94
(3) भोपाल हुजूर मिसरोद	-	ख0कं0 256/2/2 0.25 एकड़ कृषि भूमि	15 लाख	स्वयं	वर्ष 1986 में श्री प्रेमनारायण पाटीदार से रू0 75000/- में कय	निरंक	अति.सचिव एमपीपीटीसीएल का पत्र 01-05/1465/
(4) भोपाल हुजूर गोविन्दपुरा	गृह 2400 वर्गफुट 41, बिजली कॉलोनी		80 लाख		2004 में श्रीमति कविता कांडा से 3 लाख में भूमि कय कर रू. 12 लाख में भवन निर्माण	निरंक	492 दि0 03.03.97 अति.सचिव एमपीपीटीसीएल ए-96/2202 दि0 7.8.06

हस्ताक्षर
 नाम संजय कुलश्रेष्ठ
 पद अधीक्षण अभियंता
 2/12/2016

• • ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाये
 • • • इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं
 टिप्पणि:- मंडल द्वारा ग्राह्य म0प्र0 शासकीय सेवक(आचरण) नियम, 1965 के नियम 19(1) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक 12 महीने की अवधि के पचास यह घोशणा पत्र भरकर प्रस्तुत करे और उसमें वह उसके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर अथवा किसी अन्य व्यक्ति के नाम से पट्टे या बंधक पर धारित स्थावर(अचल) संपत्ति का विवरण देवे।